न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 27/2017
प्रविष्टि दिनांकः— 10.02.2017

1—श्रीमति नौरती देवी पत्नि श्री नानकचंद जाति कोली निवासी देवली, तहसील देवली जिला—टोंक राज0।
2—श्रीमति कुसुमलता पत्नि सुरेन्द्र मोहन गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी देवली, तहसील देवली जिला टोंक राज0।

..... अपीलाण्ट्स

बनाम

तहसीलदार देवली, तहसील देवली, जिला—टोंक, राज0।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार देवली दि0 03.02.2001
नामान्तरकरण संख्या 342 वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली

उपस्थितः (1) श्री गजेन्द्र शर्मा, . अभिभाषक अपीलाण्ट्स
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक ओर से रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 19.05.2017

1. संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 328 रकबा 1.25 हेक्टर वाके ग्राम पनवाड की भूमि में से रकबा 0.10 हेक्टर भूमि गैर मुमकिन औद्योगिक कार्य के लिए संपरिवर्तन का आदेश होने पर पटवारी हल्का ने इसको नया नम्बर 3700/328 लिखकर नामान्तकरण सं0 342 गैर मुमकिान आबादी औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि के नाम से भरकर पेश करने पर तहसीलदार देवली ने बिना अपीलाण्ट को बिना नोटिस दिये ही दिनांक 03.02.2001 को नामान्तकरण स्वीकार करने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्त किया जाकर उसे संशोधित किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है।

2. न्यायालय हाजा में अपील अपीलाण्ट्स प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई एवं मूल नामान्तरकरण/रेकार्ड तलब किया गया। बहस अभिभाषक अपीलाण्ट एवं राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राज्य सरकार के निर्देशो के अनुसार संपरिवर्तन के रकबे को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में से कम करने के लिए ही नामांतकरण भरकर कम किया जाना चाहिये था लेकिन गैर मुमकिन आबादी औद्योगिक प्रयोजनार्थ के नाम से भर दिया गया। अस्पष्ट एवं अनाधिकृत आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने जमाबन्दी समवत 2059—62 के खाता नं0 13 में नामांतकरण सं0 342 का नोट अंकित करते हुए सिवायचक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

नाकाबिल काश्त (आबादी) लिखकर नया ख0नं0 3700/328 लिखकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अनाधिकृत अंकन कर दिया है तथा इसका repetation (पुनरावृति) राजस्व रिकार्ड सिवायचक नाकाबिल काश्त लिखा जा रहा है जबकि यह भूमि संपरिवर्तन के बाद सिवायचक नहीं रही है जबकि संपरिवर्तन राशि जमा होने के बाद खातेदार की आबादी भूमि बन गयी हौ जिसे राजस्व रिकार्ड में कम किया जाना आवश्यक था इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं किया, उक्त नामांतकरण के फलस्वरूप हल्का पटवारी ने भी इस भूमि को जमाबन्दी में सिवायचक का अंकन किया जाना भी अनाधिकृत एवं अवैध है इसलिए मूल नामांतकरण आदेश को संशोधित किया जाना न्याय हित में आवश्यक हो गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर विवादित नामांतकरण सं0 342 निरस्त किया जाकर उसे संशोधित किया जावे कि संपरिवर्तन आदेश के फलस्वरूप आराजी ख0नं0 328 रकबा 1.25 हेक्टर भूमि में से रकबा 0.10 हे0 औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो जाने के कारण राजस्व रिकार्ड में से कम की जाकर अपीलाधीन आदेश के नोट के कारण सिवायचक नाकाबिल काश्त को अब तक की जमाबंदी में किये गये अंकन को निरस्त संशोधित करवाने का आदेश फरमावे।

4. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 03.02.2001 की अपील समयावधि उपरान्त लगभग 14 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो म्याद बाहर है। अतः अपील प्रा0 पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट में अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के ऐसे तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है जिससे समयावधि बाद प्रस्तुत यह अपील देरी से पेश किये जाने पर क्षमा योग्य मानी जावे। जहां तक नामान्तरकरण संख्या 342 ग्राम पनवाड से राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का प्रश्न है, उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार देवली के आदेश की अनुपालना में अंकन सही होने पर पटवारी द्वारा भरा जाकर तथा गिरदावर द्वारा जांच उपरान्त दि0 03.02.2001 को तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकार किया गया हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

5. हमने अभिभाषक अपीलाण्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस को सुना व मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात, मूल नामान्तरकरण सं0 342 ग्राम पनवाड का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आराजी खसरा नं0 328 रकबा 1.25 हेक्टर वाके ग्राम पनवाड की भूमि में से रकबा 0.10 हेक्टर भूमि गैर मुमकिन औद्योगिक कार्य के लिए संपरिवर्तन का आदेश होने पर पटवारी हल्का ने इसको नया नम्बर 3700/328 लिखकर नामान्तकरण सं0 342 गैर मुमकिन आबादी औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि के नाम से भरकर पेश करने पर तहसीलदार देवली ने दिनांक 03.02.2001 को नामान्तकरण स्वीकार करने का आदेश पारित किया है। हल्का पटवारी ने जमाबन्दी समवत 2059–62 के खाता नं0 13 में नामांतकरण सं0 342 का नोट अंकित करते हुए सिवायचक नाकाबिल काश्त (आबादी) लिखकर तथा नया ख0नं0 3700/328 लिखकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अनाधिकृत अंकन कर दिया है तथा इसका repetation (पुनरावृति) राजस्व रिकार्ड सिवायचक नाकाबिल काश्त लिखा जा रहा है जबकि यह भूमि संपरिवर्तन के बाद सिवायचक नहीं रही है जबकि संपरिवर्तन राशि जमा होने के बाद खातेदार की आबादी भूमि बन गयी हौ जिसे राजस्व रिकार्ड में कम किया जाना आवश्यक था, अपीलाण्ट के उक्त तथ्यों से हम सहमत है। इसी कम में राज्य सरकार के परिपत्र नं0एफ.6(26)राज.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 के अनुसार भी संपरिवर्तन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निर्धारित प्रपत्र अनुसार रजिस्टर संधारित किया जाना आवश्यक है। परिपत्र अनुसार संपरिवर्तन आदेश होने के बाद संपरिवर्तन हुई भूमि को खातेदार की खातेदारी की भूमि में से कम कर शेष भूमि का तहसीलदार द्वारा आवश्यक इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड में ऐसा कोई अंकन नहीं किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए नामांतकरण खारिज कर तहसीलदार देवली को नवीन परिपत्र अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करना उचित होगा।

आदेश

7. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 03.02.2001 वाके ग्राम पनवाड निरस्त किया जाता है। साथ ही तहसीलदार देवली को निर्देशित किया जाता है कि नवीन परिपत्र अनुसार संपरिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन को निर्धारित प्रपत्र अनुसार रजिस्टर में दर्ज करे तथा पेंसिली नोट जमाबन्दी खाते में लगावे एवं तदानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 19.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मौसम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)